[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि न्याय देर से मिलने से सही न्याय नहीं मिल पाता है। अतः हम चाहेंगे कि यह मामला शीघ्रता से निपटाया जाये। श्री अडवाणी ने कहा था कि वह प्रयास करेंगे कि यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाये... *(व्यवधान)* मैं इन मामलों के संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा कि श्री आडवाणी जी गृह मंत्री रहेंगे या नहीं, या वह विभाग के कार्य प्रभारी रहेंगे या नहीं। इन सवालों के उत्तर वह या माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिये या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे गुस्सा उत्पन्न हो और स्थिति अधिक खराब हो जाये।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा इतने शोरशराबे से नहीं उठाया था जितना कि आज कर रहे हैं। इसका कारण हमें मालूम नहीं है। ऐसे मुद्दों को तभी प्राथमिकता मिलती है जब पार्टी के नेता बिना किसी दिशानिर्देश के चलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो और सभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। मैं यह आशा करता हूं कि बाबरी मस्जिद का यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाये।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, लंबित अयोध्या मामलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है।

पहले वर्ग में नाम संबंधी विवाद से संबंधित मामले हैं। ऐसे पांच मामले हैं जिनमें से दो मामले 49 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं।

दूसरे वर्ग में, 6 दिसम्बर, 1992 को हुई घटनाओं से संबंधित मामले हैं। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 50 से भी अधिक लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किये हैं। यह मामला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) की अदालत में 5 अक्तूबर, 1993 से लंबित है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मार्च 1998 से जब से मैंने पद गृहण किया है तब से मैंने और न ही मेरी सरकार ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया है जबकि जांच करने वाली एजेन्सी यानि केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रत्यक्ष रूप से मेरे अधीन है। जैसा कि इस संदर्भ में पहले भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि लंबित मुकदमे में हस्तक्षेप करना कानूनन अनुज्ञेय नहीं है।

कानून और संविधान दोनों ही किसी मंत्री को सिर्फ उस कारण से अयोग्य घोषित नहीं करते कि पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है या न्यायालय ने औपचारिक रूप से उस पर आरोप लगाये हैं। यह प्रश्न कि, किसे मंत्री परिषद में होना चाहिये, प्रधानमंत्री के विवेक और राजनीतिक मर्यादा पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री के अंतिम निर्णय के लिये अनेक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मार्च 1998 से जब से संबंधित मंत्रियों ने पद गृहण किया है तब से न्यायिक मामलों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है, यह मांग कि मंत्री त्यागपत्र दे दें या उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से रोक दिया जाये, मानने लायक नहीं है।

तथापि, इन मामलों पर सरकार की तरफ से या राज्य स्तर पर बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने दिया जायेगा।

मैं इस सभा से अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निवेदन करूंगा।

... (व्यवधान)

सायं 6.56 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद महाजन कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा कल दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.58 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 1999/17 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।